न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (RAS)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या : 91 / 2020 **RCMS 2020/00180**

प्रार्थी

1. मनीष पुत्र रणजीतराम जाति रेबारी उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम सवाईपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. माना देवी पत्नी स्व. रणजीतराम जाति रेबारी निवासी सवाईपुरा तह. कुचामनसिटी
2. बल्लाराम पुत्र स्व. रणजीतराम जाति रेबारी निवासी सवाईपुरा तह. कुचामनसिटी
3. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी

प्रार्थना–पत्र रेकर्ड में शुद्वि दुरूस्ती बाबत अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट 1956 एवं धारा 88 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
श्री भीकमचन्द अधिवक्ता प्रति. 1 से 2 की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 14-12-2022

प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम सवाईपुरा पटवार मण्डल नारायणपुरा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 569 रकबा 0.56 हैक्टर, खसरा नम्बर 575 रकबा 1.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 576 रकबा 0.10 हैक्टर कुल रकबा 2.01 हैक्टर स्थित चली आ रही है, प्रार्थना–पत्र में वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 569, 575, 576 कुल रकबा 2.01 हैक्टर में मुझ प्रार्थी की 1 / 36 हिस्सा की भूमि काबिज खातेदारी काश्तकारी की दर्ज चली आ रही है जिस पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग करता आ रहा है, उपरोक्त भूमि में प्रार्थी का खातेदारी में फौतगी नामान्तरकरण दर्ज करते समय नाबालिग मनोज पुत्र रणजीतराम संरक्षक माता मानादेवी हिस्सा 1 / 36 जाति रेबारी साकिन देह खातेदार दर्ज चली आ रही है जबकि प्रार्थी का नाम आधार कार्ड, राशन कार्ड मतदाता पहचान पत्र आदि में मनीष पुत्र रणजीतराम दर्ज चला आ रहा है, प्रार्थी की जन्म तिथि 10.05.1997 है एवं अप्रार्थी सं. 2 बल्लाराम की जन्म तिथि 27.03. 2000 है, इस प्रकार उक्त खातेदारी में प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 2 के नाबालिग से बालिग होने पर नाबालिग के स्थान पर बालिग दर्ज किया जाना आवश्यक है, प्रार्थी की इस्तदुआ है कि ग्राम सवाईपुरा पटवार मण्डल नारायणपुरा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 569 रकबा 0.56 हैक्टर, खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:33:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

नम्बर 575 रकबा 1.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 576 रकबा 0.10 हैक्टर कुल रकबा 2.01 हैक्टर मे 1/36 हिस्सा में प्रार्थी का नाम नाबलिग मनोज पुत्र रणजीतराम संरक्षक माता मानादेवी हिस्सा 1/36 जाति रेबारी साकिन देह खातेदार के स्थान पर मनीष पुत्र रणजीतराम जाति रेबारी साकिन देह खातेदार दर्ज करने का नाम शुद्वि दुरूस्ती किया जाने का आदेश तहसीलदार कुचामनसिटी को प्रदान करावें।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी 1 एव 2 ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर इकबाली जवाब प्रस्तुत किया, अप्रार्थी सं. 3 ने जवाब प्रस्तुत किया, शामिल मिसल उपलब्ध है।

अप्रार्थी सं. 1 एवं 2 ने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्य स्वीकार है तथा विशेष कथन में लिखा है कि मनोज का सही नाम मनीष दर्ज किया जावें तथा अप्रार्थी सं. 2 बल्लाराम के नाम के आगे नाबालिग शब्द हटाया जावे तथा मनीष के नाम के आगे भी नाबालिग शब्द हटाया जावें, चूँकि वर्तमान में वे बालिग हो चुके है, अप्रार्थी सं. 3 ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि उपरोक्त वादग्रस्त खसरा में नाबालिग मनोज पुत्र रणजीतराम संरक्षक माता माना देवी हिस्सा 1/36 अन्य खातेदारों के साथ संयुक्त खातेदारी दर्ज है शेष तथ्य प्रार्थी स्वयं सिद्व करें।

दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थी की ओर से जमाबंदी नकल सम्वत 2075–2078 ग्राम सवाईपुरा के खाता सं. 20 खसरा नम्बर 569, 575, 576 की प्रस्तुत की, आधार कार्ड संख्या 254288040747 मानादेवी, 616002507446 बल्लाराम, 487812274859 मनीष, पेन कार्ड DWJPM3663M जन आधार कार्ड 4848141249, नामा. 98, राशन कार्ड की छाया प्रति, पहचान पत्र WCX/0857433, प्रस्तुत किये।

प्रकरण में उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने नाम शुद्व किये जाने का कथन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवालेकन किया गया। प्रार्थी का नाम जमाबंदी नकल सम्वत 2075–2078 ग्राम सवाईपुरा पटवार मण्डल नारायणपुरा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 569 रकबा 0.56 हैक्टर, खसरा नम्बर 575 रकबा 1.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 576 रकबा 0.10 हैक्टर कुल रकबा 2.01 हैक्टर मे 1/36 हिस्सा में प्रार्थी का नाम नाबलिग मनोज पुत्र रणजीतराम ना.बा. संरक्षक माता मानादेवी हिस्सा 1/36 जाति रेबारी साकिन देह खातेदार, नाबालिग बल्लाराम नाबा. पुत्र रणजीतराम पुत्र रणजीत संरक्षक ना.बा. संरक्षक माता मानादेवी हिस्सा 1/36 जाति रेबारी सा. देह खातेदार सह खातेदारी में दर्ज है, मनोज का सही नाम मनीष उपरोक्त दस्तावेज आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में दर्ज है, जमाबंदी में इन्द्राज दर्ज करते समय मनोज खातेदारी में दर्ज कर दिया गया जिसे दुरूस्त किया जाना उचित है साथ ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:33:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

प्रस्तुत दस्तावेजो से प्रार्थी एवं अप्रार्थी बल्लाराम के बालिग होने की पुष्टि प्रस्तुत दस्तावेजो में अंकित जन्म तिथि से साबित होती है। अतः प्रार्थना–पत्र काबिल स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर ग्राम सवाईपुरा पटवार मण्डल नारायणपुरा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 569 रकबा 0.56 हैक्टर, खसरा नम्बर 575 रकबा 1.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 576 रकबा 0.10 हैक्टर कुल रकबा 2.01 हैक्टर में *नाबालिग मनोज पुत्र रणजीत संरक्षक ना.बा. सरक्षक माता मानादेवी हिस्सा–1/36 जाति रेबारी सा. देह खातेदार* के स्थान पर मनीष पुत्र रणजीतराम हिस्सा–1/36 जाति रेबारी सा. देह खातेदार शुद्व प्रविष्टि दर्ज किये जाने तथा *नाबालिग बल्लाराम नाबा. पुत्र रणजीत सरंक्षक ना.बा. सरंक्षक माता मानादेवी हिस्सा–1/36 जाति रेबारी सा. देह खातेदार* के स्थान पर बल्लाराम पुत्र रणजीतराम हिस्सा–1/36 जाति रेबारी सा. देह खातेदार शुद्व प्रविष्टि दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार कुचामनसिटी को दिये जाते है शेष खाता बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनॉक 14/12/2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबुलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:33:21 IST
Reason: SelfAttested